संख्या-17/4260/24-1-13-190 पी/91

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2014

विषय:-फिरोजगांधी ऊँचाहार तापीय परियोजना की देनदारियों के भुगतान हेतु मेसर्स गैमन इण्डिया लि0 के प्रकरण में याचिका संख्या-1114/2009 की फर्स्ट अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में रूपये 2,50,00,000/- (रूपये दो करोड़ पचॉस लाख मात्र) की बैंक गारण्टी के इनकैशमेन्ट के फलस्वरूप उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, को किये जाने हेतु रूपये 2,50,00,000/-(रूपये दो करोड़ पचॉस लाख मात्र) को उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के पी0एल0ए0 खाते से प्रतिपूर्ति हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को आहरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या-450/उनिलि/मु0म0प्र0(वित्त), दिनांक 04.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1206-पी0-1/99-24-190पी/91, दिनांक 16.10.1999 द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के पी0एल0ए0 खाते में रखी धनराशि रूपये 6,51,61,014/- (रूपये छः करोड़ इक्यावन लाख इकसठ हजार चौदह मात्र) में से शासनादेश संख्या-782/24-1-2013-190 पी/91, दिनांक 20 मार्च, 2013 द्वारा रूपये 1,87,16,876/- (रूपये एक करोड़ सत्तासी लाख सोलह हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र) मेसर्स मेटल्स एवं मिनिरल्स लि0 को भुगतान किये जाने हेतु निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 4,64,44,138/- (रूपये चार करोड़ चौसठ लाख चौवालिस हजार एक सौ अड़तीस मात्र) में से रूपये 2,50,00,000/- /-(रूपये दो करोड़ पचॉस लाख मात्र) की धनराशि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम की बैंक गारण्टी के इनकैशमेन्ट के फलस्वरूप रूपये 2,50,00,000/- /-(रूपये दो करोड़ पचॉस लाख मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम को किये जाने हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उपरोक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि यदि वाद का निर्णय निगम के पक्ष में होता है तो गैमन इण्डिया से वापस प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि एवं फर्म हेतु चिन्हित अवशेष धनराशि वापस राजकोष में जमा की जायेगी।

(2) शासनादेश दिनांक 16.10.1999 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-11 दस-2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/4260(1)/24-1-13, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in